दिनांक 19.10.2019	
प्रेस विज्ञप्ति 23/19	

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को "Financial Inclusion & Literacy Leadership Award-2019"</u>

आज दिनांक 20.10.19 को जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट में एवोक इण्डिया द्वारा 2nd India Financial Literacy conclave 2019 समारोह को आयोजन किया गया।

श्री ओ0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को लखनऊ मेनेजमेन्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष, पूर्व मुख्य सचिव, उ0प्र0 श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय द्वारा **"Financial Inclusion & Literacy Leadership Award-2019"** एवार्ड से सम्मानित किया गया।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को यह एवार्ड उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए वित्तीय साक्षरता में प्रगतिशील पहल (Progressive Initiative in Financial Literacy for U.P.Police) श्रेणी में प्रदान किया गया है।

पुलिस स्मृति दिवस—2019 का पूर्वाभ्यास

आज दिनांक 19.10.2019 को प्रातः 08.00 बजे रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ में दिनांक 21.10.2019 को आयोजित की जाने वाली 'पुलिस स्मृति दिवस' परेड 2019 का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया।

श्री ओ0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा रिहर्सल परेड का निरीक्षण किया गया। पूर्वाभ्यास परेड की कमान्ड श्री सलमान ताज पाटिल, पुलिस अधीक्षक, प्रशिक्षण द्वारा की गयी। परेड में नागरिक पुलिस, सशस्त्र पुलिस, पीएसी, महिला पुलिस, यातायात पुलिस, एटीएस एवं एसडीआरएफ की टीमें सम्मिलित हुई।

उक्त पूर्वाभ्यास के दौरान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को परेड में और सुधार लाने हेतु बारीक निर्देश दिये गये।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा परेड में सम्मिलित पुलिस कर्मियों से वार्तालाप किया गया तथा दिनांक 21 अक्टूबर 2019 'पुलिस स्मृति दिवस' की महत्ता के बारे में अवगत कराया गया।

I.P.S.
O. P. SINGH

जनपद मीरजापुर/थाना हलिया

- **25–25 हजार रू0 के 02 पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 18.10.2019 की रात्रि थाना हलिया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिविल लाइन्स प्रयागराज रामकृष्ण होटल के पास घेराबंदी कर पुरस्कार घोषित 02 अपराधियों 1. सूरेश, 2.उदल प्रसाद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, धोखाधडी आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं एवं जनपद के थाना हलिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 177/2019 धारा 419/420/467/468/471 भादवि में अभियुक्तगण वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 25–25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. सूरेश निवासी मुडपेली नवडिहवां(उमरिया)थाना हलिया जनपद मीरजापुर।
2. उदल प्रसाद निवासी गजरिया थाना हलिया जनपद मीरजापुर।

एसटीएफ : आकाशीय बिजली को अष्टधातु पर गिराकर न्यूक्लियर पावर में परिवर्तित करने का दावा कर हजारों करोड़ मे बेचने का झांसा देकर सेना के रिटायर्ड जवान से 52 लाख रूपये की ठगी करने वाले मास्टरमाइण्ड को एस0टी0एफ0 ने जनपद लखनऊ से गिरफ्तार।

दिनांक 19–10–2019 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को आकाशीय बिजली को अष्टधातु पर गिराकर न्यूक्लियर पावर मे परिवर्तित करने का दावा कर हजारों करोड़ मे बेचने का झांसा देकर सेना के रिटायर्ड जवान से 52 लाख रूपये की ठगी करने वाले मास्टरमाइण्ड को जनपद लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– निलेश कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 राम कुमार मिश्रा निवासी धुनवलिया पोस्ट फाजिल नगर थाना फाजिल नगर जनपद कुशीनगर। हाल पता–ए12, एम एस ब्लाक, रानाजी इंक्लेव नियर शिव डेरी नई दिल्ली।

बरामदगी का विवरण –

1— 02 अदद ए0टी0एम0 कार्ड।
2— 02 अदद मोबाईल।
3— 01 अदद वोटर आई0डी0।
4— 01 आधार कार्ड।
5— 02 अदद चेक बुक।
6— 01 अदद मुहर।
7— 01 अदद चार पहिया कार (Tyota Etios Liva - DL8CAK6533)

गिरफ्तारी का स्थान व समयः—

हयात होटल विभूतीखण्ड गोमतीनगर के समीप रात्रि 02:15 बजे।

श्री राजेन्द्र सिंह नागरकोटी, निवासी फ्लैट न0 803 ब्लाक पी शारदा अपार्टमेंट गोमतीनगर विस्तार सेक्टर 4 गोमती नगर लखनऊ द्वारा दिनांक 19/05/2019 में थाना विभूतिखण्ड जनपद लखनऊ मे मु0अ0स0 318/2019 धारा 419/420 भा0द0वि0 पंजीकृत कराय गया था। निलेश कुमार मिश्र डायरेक्टर VINTAGE ANTIQUE METALS अशोक कुमार श्रीवास्तव व दिनेश कुमार पाण्डेय आदि द्वारा बताया गया कि हमारी कम्पनी का हेड आफिस रूस मे है, हम लोग अपनी कम्पनी के साईनटिस्ट व मैटिरियोलाजिस्ट है। आकाशीय बिजली को अष्टधातु पर गिराकर न्यूक्लियर पावर मे परिवर्तित कराकर R POWER को इंटरनेशनल मार्केट मे हजारों करोड़ मे बेचते है, जिसमें आपको कुछ लाख रूपये खर्च करने होंगे और आप को हजारों करोड रूपये मिल जायेगें आदि तरह से प्रलोभन देकर उपरोक्त लोगों द्वारा 52 लाख रूपये की ठगी कर ली गयी।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में श्री राजीव नारायण मिश्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्देश दिये गये। जिसके अनुपालन में श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में मुख्यालय स्थित साइबर क्राइम टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि निलेश कुमार मिश्रा उपरोक्त किसी से ठगी करने के इरादे से लखनऊ आया हुआ है, जिसे आज दिनांक 19/10/2019 को साइबर टीम द्वारा विभूतिखण्ड गोमती नगर जनपद लखनऊ से रात्रि समय करीब 02:15 बजे गिरफ्तार किया गया जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे पूछताछ पर निलेश मिश्र ने बताया कि उसने 1999 से 2001 के बीच बाबू बनारसीदास इस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एवं रिसर्च सेन्टर जहांगीराबाद बुलन्दशहर से B. Tech किया फिर 2007 से 2009 तक दिल्ली मैट्रो मे इलेक्ट्रीशियन के पद पर कार्य किया उसके बाद वर्ष 2013 मे मैने एक VINTAGE ANTIQUE METALS नाम की एक कम्पनी बनायी। इस कम्पनी की आड़ मे हमारे गैंग के सदस्यों द्वारा लोगो से **आकाशीय बिजली को अष्टधातु पर**

गिराकर न्यूक्लियर पावर मे परिवर्तित कर 80 हजार करोड प्रति इंच की दर पर इंटरनेशनल मार्केट मे बेचने का झांसा व प्रलोभन देकर विभिन्न राज्यों मे लगभग 5 करोड़ की ठगी की जा चुकी है। वर्ष 2018 में थाना द्वारिका नई दिल्ली पर इसी सम्बन्ध में एक और धोखाधडी हेतु मु0अ0सं0 00015/2018 में पूर्व में भी जेल जा चुका हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त को मु0अ0स0 318/2019 धारा 419/420/409 भा0द0वि0 थाना विभूतिखण्ड जनपद लखनऊ में दाखिल कर अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना विभूतिखण्ड जनपद लखनऊ पुलिस द्वारा की जा रही है एवं शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है।

जनपद बरेली/थाना फरीदपुर

- **04 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 मोटर साइकिलें बरामद**

दिनांक 18.10.2019 को थाना फरीदपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर राठौर सर्विस सेन्टर वीसलपुर रोड पर घेराबंदी कर 04 शातिर वाहन चोर 1. मो0ताजिम, 2.अजीम अली, 3.आशीष, 4.चन्दन को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर चोरी की 10 मोटर साइकिलें व 02 कटी हुई मोटर साइकिलों के पार्ट्स आदि बरामद हुए।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि जनपद व उसके आसपास से वाहनों की चोरी कर, उनकी नम्बर प्लेट बदलकर, ग्राहक मिलने पर वाहनों को बेच देते हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा वाहन चोरी की कई घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना फरीदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. मो0ताजिम निवासी मोहल्ला ऊंचा कस्बा व थाना फरीदपुर जनपद बरेली।
2. अजीम अली निवासी मोहल्ला ऊंचा कस्बा व थाना फरीदपुर जनपद बरेली।
3. आशीष निवासी मोहल्ला परां कस्बा व थाना फरीदपुर जनपद बरेली।
4. चन्दन निवासी मोहल्ला महादेव कस्बा व थाना फरीदपुर जनपद बरेली।

<u>बरामदगी</u>

1. चोरी की 10 मोटर साइकिलें
2. 02 कटी हुई मोटर साइकिलों के पार्ट्स आदि

<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना भीटी</u>

- **शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 72 हजार रू0 नगद**
- **01 देशी पिस्टल, 02 जीवित कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 18.10.2019 की सांय थाना भीटी पुलिस व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना भीटी क्षेत्रान्तर्गत घेराबंदी कर शातिर अभियुक्त अक्की उर्फ अभिनव को गिरफ्तार किया गया। मौके से अन्य अभियुक्त फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 72 हजार रू0 नगद, 01 देशी पिस्टल, 02 जीवित कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में लूट, अपरहण, हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्त ने लूट आदि की कई घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना भीटी पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. अक्की उर्फ अभिनव निवासी ग्राम चाचिकपुर थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर।

<u>बरामदगी</u>

1. लूट के 72 हजार रू0 नगद
2. 01 देशी पिस्टल, 02 जीवित कारतूस
3. घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल

जनपद बागपत/थाना बिनौली

- **लूट की घटना का अनावरण, 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 40 हजार रू0 नगद**
- **लूट का मोबाइल फोन**
- **02 मोटर साइकिलें**
- **01 तमंचा मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 18.10.2019 की सांय थाना बिनौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर माखर बिजवाडा नहर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान घेराबंदी कर 03 शातिर अभियुक्तों 1.इकराम, 2.अफजाल, 3.मोहित उर्फ मुखिया को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 40 हजार रू0 नगद, लूट का मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिलें, 01 तमंचा मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 16.10.2019 को थाना बिनौली क्षेत्रान्तर्गत बिजवाडा रमेश के भट्टे के पास मोटर साइकिल सवार 02 अज्ञात बदमाशों द्वारा रास्ता रोककर 40 हजार रू0 व मोबाइल फोन लूट लिया था, जिसके सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 318/2019 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे हैं।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त ने उक्त लूट की घटना सहित कई अन्य लूट की घटनायें कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. इकराम निवासी ग्राम दौझा थाना बिनौली जनपद बागपत।
2. अफजाल निवासी ग्राम दौझा थाना बिनौली जनपद बागपत।
3. मोहित उर्फ मुख्यिा निवासी ग्राम बुढेडा थाना बिनौली जनपद बागपत।

बरामदगी

1. लूट के 40 हजार रू0 नगद
2. लूट का मोबाइल फोन
3. घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिलें
4. 01 तमंचा मय जीवित कारतूस आदि

जनपद गाजियाबाद/थाना इंदिरापुरम

- **पुलिस कार्यवाही में 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 32 मोबाइल फोन**
- **लूट की घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिलें**
- **03 तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 19.10.2019 को थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शुक्र बाजार कट के पास चेकिंग के दौरान 02 मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में 04 शातिर अभियुक्त 1.पंकज, 2.अजय, 3.मोनू, 4.योगेश को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 32 मोबाइल फोन, लूट की घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिलें, 03 तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनमें अभियुक्तों के विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट आदि के 09—09 अभियोग पंजीकृत हैं।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने लूट आदि की कई घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना इंदिरापुरम पर अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. पंकज निवासी ग्राम ढिकोली थाना चांदीनगर जिला बागपत एमसीडी फ्लैट सुन्दरनगरी दिल्ली।
2. अजय निवासी सिकन्द्रा राव हाथरस हाल निवासी सी ब्लॉक प्रताप नगर कालोनी हर्ष विहार दिल्ली।
3. मोनू निवासी ग्राम कनावनी थाना इंदिरापुरम जनपद गाजियाबाद।
4. योगेश निवासी डी ब्लॉक नन्दग्राम थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1. लूट के 32 मोबाईल फोन
2. लूट की घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिलें
3. 03 तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि

———